भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3910

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

उत्तराखंड में कंप्यूटरीकरण

3910. श्री अजय भट्टः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार द्वारा जिला-वार और वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) उत्तराखंड में कंप्यूटरीकृत की गई ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्य में कंप्यूटरीकृत की गई ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ज के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसे

किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विधि द्वारा निर्दिष्ट है, समनुदिष्ट कर सकता है।

हालांकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों तथा स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तराखंड राज्य में ग्राम पंचायतों सहित पंचायतों के तीनों स्तरों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित अनुदानों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	वर्ष	आवंटित अनुदान (रुपए करोड़ में)
1.	2021-22	425.00
2.	2022-23	440.00
3.	2023-24	445.00
4.	2024-25	471.00
5.	2025-26	458.00

पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला-वार अनुदान आवंटन का विवरण मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है।

पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संशोधित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)' नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता को सुदृढ़ करना है, जिसके अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs), पंचायत पदाधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी शासन क्षमता को नेतृत्व भूमिकाओं हेतु विकसित किया जाता है, जिससे ग्राम पंचायतें एवं स्थानीय निकाय सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

संशोधित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)' योजना पंचायत अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर सुविधाएँ तथा पंचायत कार्यालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सह-स्थान जैसी व्यवस्थाओं के लिए सीमित स्तर पर सहयोग प्रदान करती है। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन केवल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को करता है। उत्तराखंड राज्य को संशोधित RGSA के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़ में)

2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
42.48	64.67	50.00	44.09

(ख) और (ग) उत्तराखंड राज्य में ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण का जिला-वार विवरण मंत्रालय में संधारित नहीं किया जाता है। हालांकि, मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संशोधित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)' योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि में उत्तराखंड राज्य द्वारा कुल 1001 कंप्यूटर क्रय किए गए हैं।
